कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा
जिला–कोरबा(छ0ग0)

मो.नं.–98268 39141, ई–मेल:gevpg1981@gmail.com, वेबसाईट– www.gevpgkrb.ac.in, AISHE Code- C-22398

पत्र क्रमांक / 808 / स्था. / 2023 / कोरबा, दिनांक 16/08/23

!! अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन !!

कार्यालय आयुक्त, उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र कमांक 504 / 126 / आउशि / राज स्था / 2023 नवा रायपुर दिनांक 10.07.2023 एवं अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक एफ–3–54 / 2020 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.08.2023 के अनुसार **शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा,** अध्यापन कार्य करने हेतु सक्षम अतिथि व्याख्याता हेतु निम्नलिखित विषयों में आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ दिनांक 22.08.2023 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन केवल डाक द्वारा अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) ही मान्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

योग्यता:– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित मापदण्ड।

कमांक	विषय	पद संख्या
01	राजनीतिशास्त्र	01

टीप:– 01) जिन विषयों में नियमित प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना की जायेगी, उन विषयो में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जावेगी।

शर्ते :–

1. आवेदन के साथ 10वीं, 12, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट / नेट, एमफिल / पी.एचडी., अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 22.08.2023 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुकम सूची में शामिल किया जावेगा। ईमेल / ऑनलाईन आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर मेरिट राज्य शासन के नियमानुसार ही तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन तिथि 24.08.2023 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.gevpgkrb.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. गुणानुकम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 25.08.2023 तक होगी।
6. अंतिम सूची व प्रकाशन दिनांक 26.08.2023 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेवसाईट www.gevpgkrb.ac.in अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अतिथि व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है।
8. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
9. प्रति व्याख्यान 300 /– रू (अधिकतम 1200.00 एक हजार दो सौ रू. प्रतिदिन) की दर से मानदेय होगा। जो प्रतिमाह 31200.00 (इकतीस हजार दो सौ) से अधिक नहीं होगा।
10. चयन प्रकिया पूर्ण होने की तिथि में जिन संकाय / विषय में प्रवेशित छात्र संख्या शून्य रहती है तो ऐसे विषय / संकाय में चयनित उम्मीदवार को अध्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जावेगा।

11. उपरोक्त विज्ञापित पदों में विगत सत्र में कार्यरत रह चूके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालयीन निर्देशों के अधीन किया जावेगा।

12. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता **प्राचार्य, शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा रजगामार रोड** (छ.ग.) पिन कोड.–495677 एवं आवेदित विषय अवश्य लिखे।

16.08.23

(डॉ.श्रीमती एस. खरे)
प्राचार्य
शासकीय ई.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)

दिनांक 16/08/23

पृ. पत्र क्रमांक / 809 / स्था. / 2023 / कोरबा,

प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ।
02. अपर संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय शासकीय ई.रा.रा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ।

16.8.23

(डॉ.श्रीमती एस. खरे)
प्राचार्य
शासकीय ई.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)

प्राचार्य
शासकीय इं.वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)